नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) गाजियाबाद

(मानचित्र-स्वीकृति पत्र) पंजीकृत

पत्र सं० नोएडा/भ० प०/बो०पी० -5521 /81/ 4411 दिनांक 26-12-95

सेवा में,

श्रीमती/श्री मै० इन्टरनेशनल प्रिन्ट ओ पैक लि०
B-204, 205, ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया फेज-I
नई दिल्ली

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 26/12/95 के संदंभ में आपके प्रस्तावित औद्योगिक भवन निर्माण की प्लाट सं० C-8, 8A, 9, 10, 11 सैक्टर फेज-II एक्सटेंशन पर निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

१. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से 12/9/97 तक वैध है।

२. मानचित्रों को इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से संबंधित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिका नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकारी तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।

३. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

४. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जावेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।

५. दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाये जायेगें कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टैड) न हो।

६. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।

७. आवंटी द्वारा भवन सामाग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुध नही होना चाहिए।

८. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावलि के नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएड़ा द्वारा निरोक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

९. आवंटी मेजनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

१०. सड़क पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगें। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।

PTO

११. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोयडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।

१२. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसने पुनर्जीवित करा लिए हों। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता पट्टे की वैधता तिथि तक ही समझी जाएगी।

१३. आवंटी को अधिभोग प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करते समय विकास प्रबन्धक आवास (भू०) विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न हैं भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।

संलग्नक : स्वीकृति मानचित्र की प्रति

आवंटी निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद तहखाने की छत, स्टिल्ट की छत [illegible] भवन प्रकोष्ठ द्वारा भवन का निरीक्षण करायेगा।

सचिव
नोएडा

प्रतिलिपि :

विकास प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेंतु प्रेषित

नोट- आवंटी को मानचित्रों की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि आवंटी नीचे लिखी शर्तों का अनुपालन स्वीकृति जारी होने के 15 दिन के अन्दर-2 करेगा अन्यथा जारी की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

1. आवंटी आवंटन पत्र, अनापत्ति पत्र की छाया प्रति रु 100 के स्टाम्प पेपर पर तहखाने के लिए Indemnity bond तथा Structural Engineer से Structural stablity certificat की प्रति स्वीकृति जारी होने के पन्द्रह दिन के अन्दर-2 जमा करायेगा।

सचिव
नोयडा